दिनांक–13.05.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (5) श्री मो0 वसीम अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (6) श्री निर्भय कुमार सिंह, अवर सचिव
   (7) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थितिः–

विदित हो कि दिनांक–06.05.2026 को आयोजित बैठक में पंचायतों में बचे हुए कार्य को पूर्ण करते हुए दिनांक– 21.05.2026 से 2000 पंचायतो में आधार सेवा शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1905 पंचायतों में Desktop, 267 पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध है। आधार सेवा उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल पर Enroll कराये गये 1613 डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के विरूद्ध मात्र 909 ऑपरेटरों द्वारा ही परीक्षा हेतु पंजीकरण कराया गया है। यह चिन्ताजनक है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर सभी 2000 पंचायतों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पोर्टल पर Enrollment कराकर प्रशिक्षण कराना तथा परीक्षा हेतु पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जो ऑपरेटर परीक्षा में

कृ0पृ0उ0.....

दो (2) बार फेल हो जाए, उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ किया जाए।

केवल बांका जिले द्वारा ही आधार किट का क्रय किया गया है। लक्ष्य को देखते हुए सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अविलंब पंचायत से आधार किट क्रय कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही जिन पंचायतो में Wired Internet Connection उपलब्ध नहीं है वहां दो दिनो के अंदर Internet Connection install करना सुनिश्चित करेंगें तथा IP address को Google Sheet पर Update कर विभाग को सूचित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7831 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है। निदेश दिया गया कि अंतिम संस्कार हेतु परम्परागत रूप से उपयोग की जाने वाली सरकारी भूमि का ही सर्वेक्षण किया जाये।

ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित मुखिया द्वारा मोक्षधाम/शवदाह–गृह के निर्माण हेतु GPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया। प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत में मोक्षधाम/शवदाह–गृह का निर्माण पंचायत समिति के द्वारा किया जाना है, इसलिए इसे BPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया।

विभाग के द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर स्थल विशिष्ट (Site Specific) प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार मोक्षधाम/शवदाह–गृह का निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के मृतकों का मृत्यु प्रमाण–पत्र 24 घंटे के अन्दर मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है। साथ ही इस सप्ताह प्रत्येक जिलें में अतिमहत्वपूर्ण मोक्षधाम को चिन्हित कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवेदित माह में 1488 अंत्येष्टि की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित अवधि के अंदर 1363 मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत की गयी है। पटना, पूर्वी चंपारण एवं सहरसा जिलों में प्रतिवेदित माह में अंत्येष्टि की संख्या को पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इन सभी जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि अंत्येष्टि की गयी संख्या को पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

लगातार.....

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. पंचायत सचिव के प्रभार संबंधी प्रतिवेदन एवं 15 वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग का दिनांक–8 अप्रैल 2026 से 06 मई 2026 तक पोर्टल पर व्यय की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 3133 पंचायत सचिवों के विरूद्ध मात्र 702 ही कार्यरत है। शेष 2431 पंचायत सचिव हड़ताल पर है। हड़ताल पर गये पंचायत सचिव के स्थान पर 1898 कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार दी गयी है। निदेश दिया गया कि पंचायत सचिव का प्रभार किसी दूसरे स्थायी कर्मी को ही दिया जाए। साथ ही पंचायत सचिव संघ के जिला स्तरीय नेता के साथ बैठक कर हड़ताल खत्म करने हेतु एक अंतिम वार्ता की जाए। वार्ता के विफल होने के उपरांत संबंधित पंचायत सचिव पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

यह भी पाया गया है कि हड़ताल पर गये पंचायत सचिव द्वारा दिनांक–08.04.2026 से दिनांक–06.05.2026 तक 729 पंचायतों में 15वीं वित्त आयोग से पैसे की निकासी कर सरकारी योजना हेतु व्यय किया जा रहा है। यह सरकारी कर्मी के आचरण एवं अनुशासन के विपरीत है। सभी DPRO/DDC को निदेश दिया गया कि संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. HSC की अद्यतन स्थिति :–

स्वास्थ्य उप–केन्द्रों के निर्माण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 100 HSC के विरूद्ध मात्र 39 HSC का निर्माण पूर्ण हुआ है, यह चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि शेष स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण अविलम्ब पूर्ण करें। साथ ही जिन जिलों में HSC का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहाँ कार्य प्रारंभ ना कर आवंटित राशि विभाग को Surrender करना सुनिश्चित करें।

V. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–31.03.2026 तक चतुर्थ चरण मे सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक भागलपुर में एक भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में भागलपुर के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया

लगातार.....

जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि दिनांक–31.05.2026 तक शत–प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए।

चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी द्वारा भागलपुर में 51%, मधेपुरा में 42% ही Material Supply की गयी है। इन जिलो के DPRO को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख). सभी चरणों को मिलाकर सिवान, नवादा, अरवल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, जमुई, बांका, औरंगाबाद, अररिया, मधेपुरा एवं पूर्वी चंपारण जिलों में अधिष्ठापित लाईटों के विरूद्ध CMS पर Integration का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र CMS पर 100% Integration करना सुनिश्चित करें।

दिनांक– 06.05.2026 को आयोजित बैठक में सभी DPRO को निदेश दिया गया था कि सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु दिनांक–11.05.2026 तक जिला स्तर पर LED Display Pannel लगाकर फोटो विभाग के Whatsapp Group मे भेजना सुनिश्चित करेंगें, परंतु गोपालगंज, कटिहार एवं मुजफ्फरपुर जिलों को छोड़कर किसी भी जिले द्वारा LED Display Pannel अधिष्ठापित नहीं किया गया है। शेष जिलों के DDC/DPRO को निदेश दिया गया कि अविलंब LED Display Pannel अधिष्ठापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

साथ ही CMS पोर्टल के URL को संबंधित माननीय MP, MLA, MLC एवं मुखिया को जिला पदाधिकारी के माध्यम से लिखित रूप में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि जन–प्रतिनिधि के साथ–साथ आम जनमानस को भी सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, पटना, सारण, सहरसा एवं बक्सर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न् है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

कतिपय एजेंसी द्वारा यह बताया गया कि सोलर लाईट के अधिष्ठापन के उपरांत भी जिलों द्वारा ससमय भुगतान नहीं किया जा रहा है। DPRO के द्वारा यह बताया गया कि पंचायत सचिव के हड़ताल पर चले जाने के कारण भुगतान करने

में समस्या उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि कैंप मोड मे संबंधित BPRO को लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार अद्यतन स्थिति :–

S.n	District Name	No. of CWJC	No. of MJC
01	Araria	00	00
02	Arwal	01	00
03	Aurangabad	08	00
04	Banka	01	00
05	Begusarai	02	00
06	Bhagalpur	03	00
07	Bhojpur	00	00
08	Buxar	05	01
09	Darbhanga	10	00
10	East Champaran	09	00
11	Gaya	03	00
12	Gopalganj	05	00
13	Jamui	05	00
14	Jehanabad	01	00
15	Kaimur	00	00
16	Katihar	05	00
17	Khagaria	09	00
18	Kishanganj	03	00
19	Lakhisarai	00	00
20	Madhepura	01	00
21	Madhubani	09	00
22	Munger	04	00
23	Muzaffarpur	09	00
24	Nalanda	01	00
25	Nawada	02	00
26	Patna	07	00
27	Purnia	01	00
28	Rohtas	08	01
29	Saharsa	00	00
30	Samastipur	10	05
31	Saran	03	03
32	Sheikhpura	01	00
33	Sheohar	00	00
34	Sitamarhi	07	01
35	Siwan	04	00
36	Supaul	01	00
37	Vaishali	11	00
38	West Champaran	01	01
Total		**150**	**12**

सभी लंबित MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

लगातार.....

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. जन–शिकायत की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 511 मामलों के विरूद्ध मात्र 147 मामलें में ही जिलो से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर एवं सुपौल जिलों से शून्य प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलो पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी देखा गया है कि जिस पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध परिवाद दायर होता है, उसी से जांच कराकर प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया जाता है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी/कर्मीसे जांच ना कराकर किसी अन्य पदाधिकारी/कर्मी या टीम गठित कर जांच कराते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. Status of district wise year book closed report:–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 8054 पंचायतो के विरूद्ध मात्र 5238 पंचायतो में ही Year Book Close की गयी है, जिसमें से पूर्णिया, जहानाबाद, भागलपुर, मुंगेर, कैमुर, पश्चिम चंपारण एवं बक्सर जिलों में स्थिति चिंताजनक है। निदेश दिया गया कि Year Book Close करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

IX. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

मुजफ्फरपुर, पटना, पश्चिम चंपारण, गया जी एवं सुपौल जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) Departmental Audit Progress Report(FY: 2024-25)- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 38 जिला परिषद के विरूद्ध 16, 533 पंचायत समिति के विरूद्ध 361, 8053 पंचायत के विरूद्ध 6595 एवं 8053 ग्राम कचहरी के विरूद्ध 6479 में ही ऑडिट कार्य पूर्ण किया गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक–31.05.2026 तक सभी ऑडिट कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

20/5/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 7839 / पं०रा० पटना, दिनांक 20/5/2026
प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 7839 / पं०रा० पटना, दिनांक 20/5/2026
प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक / सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 7839 / पं०रा० पटना, दिनांक 20/5/2026
प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

20.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव